महत्वपूर्ण

संख्या-68/2017/936/26-3-2017

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 28 अप्रैल, 2017

विषयः- प्रदेश में समाज कल्याण विभाग/जनजाति विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम पूर्ववत् जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-985/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ/नवो0पै0(312)/2016-17, दिनांक-28.03.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में समाज कल्याण विभाग/जनजाति विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का नाम पूर्ववत् राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रखे जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर सम्यक्विचारोपरांत समाज कल्याण विभाग एवं जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम पूर्ववत् जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बनाये रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

पृ0संख्या-68/2017/936(1)/26-3-2017 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, वित्त/मा0 शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in